रजिस्टर्ड सं०—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 6] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 7, 1987 (माघ 18, 1908)

No. 6] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 7, 1987 (MAGHA 18, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . . .	157
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	131
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . . .	—
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	183
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल है) . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल है) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	1099
भाग III—खण्ड 2—पेटेण्ट कार्यालय द्वारा जारी की गयी पेटेण्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	93
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	--
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	845
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	19
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक .	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	157
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	131
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	183
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1099
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	93
PART III—SECTION 3—Notification issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	845
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	19
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc both in English and Hindi ..	*

* Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जनवरी 1987

सं० ए०-11019/2/86-प्रशा०-I—महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड के गठन सम्बन्धी इस सचिवालय के 27 फरवरी, 1986 के समसंख्यक संकल्प के संदर्भ में ।

2. स्व० डॉ० एच० एन० सिद्दकी के स्थान पर डा० ए० पी० मित्रा, महानिदेशक, सी० एस० आई० आर० महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बोर्ड के सदस्य होंगे ।

अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1987

संकल्प

सं० ई०11017/5/83-हिन्दी—भारत सरकार के योजना मंत्रालय, योजना विभाग ने योजना संबंधी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए, "कौटिल्य पुरस्कार योजना" नामक योजना शुरू करने का निर्णय किया है । योजना के उद्देश्य और अन्य ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

योजना से संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए कौटिल्य पुरस्कार योजना ।

I. योजना का शीर्षक

यह योजना, योजना से संबंधित तकनीकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए "कौटिल्य पुरस्कार योजना" के नाम से जानी जाएगी ।

II. उद्देश्य

अब तक पंचवर्षीय योजना दस्तावेज मूल रूप से अंग्रेजी में लिखे जाते हैं । हिन्दी हमारी राजभाषा है । इसलिए यह हमारा लक्ष्य है कि अन्ततः हम योजना दस्तावेज मूल रूप से हिन्दी में ही लिखें । इसलिए योजना से सम्बन्धित हिन्दी में अच्छी तकनीकी किताबों को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार देने की योजना शुरू की गयी है । योजना क्षेत्र में विशिष्ट विषयों पर उच्च-स्तर की मौलिक पुस्तकें लिखने वालों को वार्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे ।

III. पुरस्कारों की धनराशि

जैसा कि पैरा 5 में बताया गया है कि उक्त क्षेत्र में हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के उन लेखकों को, जिन्हें गठित की जाने वाली मूल्यांकन समिति गुणवत्ता के क्रम में सर्वोत्तम बताएगी, योजना आयोग द्वारा तीन वार्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे । पुरस्कारों की धनराशि इस प्रकार होगी :—

(1) प्रथम पुरस्कार—5000/- रु०

(2) द्वितीय पुरस्कार—3000/-रु०

(3) पांच-पांच सौ रु० के दो सांत्वना पुरस्कार

यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति को यह अनुभव होता है कि योजना के क्षेत्र में (तकनीकी विषय) विशिष्ट विषयों पर हिन्दी में मौलिक काम उच्च स्तर का नहीं है तो कोई या सभी पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।

(IV) स्कीम योजना आयोग द्वारा केलेण्डर वर्ष 1987 से शुरू की जाएगी । पुरस्कार प्रत्येक केलेण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे । यह स्कीम योजना आयोग में कार्यरत व्यक्तियों को छोड़कर सभी के लिए है ।

2. योजना आयोग द्वारा स्थापित की गयी मूल्यांकन समिति केलेण्डर वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गयी पुस्तकों और पाण्डुलिपियों का मूल्यांकन करेगी ।

3. मूल्यांकन समिति के विचार के लिए प्रस्तुत की गयी प्रत्येक पुस्तक अथवा पाण्डुलिपि के साथ प्रायः विधिवत भरा हुआ और लेखक द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रविष्ट फार्म होना चाहिए और विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक भेजा जाना चाहिए ।

4. कोई भी मौलिक कार्य (पाण्डुलिपि) जिसे भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम या निजी अभिकरण द्वारा परिचालित किया गया हो । किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत कोई पुरस्कार, आर्थिक सहायता या वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी है, इस स्कीम के अन्तर्गत उसी पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

5. पूर्वोक्त क्षेत्र में हिन्दी की मौलिक पुस्तकों (पाण्डुलिपियों) के लेखकों को उनकी पुस्तकों के कापीराइट का अधिकार होगा ।

(V) मूल्यांकन समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1) सलाहकार/संयुक्त सचिव (प्रशासन) अध्यक्ष

(2) निदेशक (प्रशासन) सदस्य

(3) अध्यक्ष के अनुमोदन से नामित किए जाने वाले विशेषज्ञ । सदस्य

(4) निदेशक/उप निदेशक (रा० भा०) ।

2. किसी भी लेखक को एक केलेण्डर वर्ष के लिए एक से अधिक पुरस्कार और/या पारितोषिक नहीं दिया जाएगा ।

3. यदि पुरस्कार या पारितोषिक के लिए चयन की गयी किसी पुस्तक या पाण्डुलिपि के एक से अधिक लेखक हों तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी ।

4. मूल्यांकन समिति द्वारा पाण्डुलिपि के अनुमोदन के बावजूद भी पुरस्कार या पारितोषिक की धनराशि केवल पुस्तक के प्रकाशन के बाद ही दी जाएगी ।

(VI) मूल्यांकन समिति के कार्य :

1. योजना मंत्रालय हिन्दी और अंग्रेजी के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए एक नोटिस जारी करेगा जिसमें स्कीम के अन्तर्गत पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां मांगी जाएंगी । साथ-साथ स्कीम के लिए प्रविष्टियों की अन्तिम तारीख भी नोटिस में दी जाएगी ।

2. पुस्तकें और पाण्डुलिपियां प्राप्त होने पर उन्हें समिति के प्रत्येक सदस्य के पास भेजा जाएगा जो उनका मूल्यांकन करके एक निश्चित अवधि के भीतर अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट दे देंगे । जब सभी सदस्यों की मूल्यांकन रिपोर्टें प्राप्त होने और सारणी-बद्ध हो जाने पर समिति के अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाएंगे जिसमें समिति के सदस्य-सचिव, इस स्कीम के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम प्रविष्टियों के चयन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय लेने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए मूल्यांकन अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे । मूल्यांकन समिति द्वारा किए गए निर्णय अन्तिम और सभी प्रकार से मान्य होंगे और उनके संबंध में किसी भी प्राधिकरण के समक्ष अपील नहीं की जाएगी ।

के० सी० अग्रवाल निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय, आन्तरिक सुरक्षा विभाग

(पुनर्वास प्रभाग)

नई दिल्ली-11, दिनांक 9 जनवरी 1987

संकल्प

सं०-9(23)/82-पुनर्वास-III(डैस्क)—तत्कालीन पुनर्वास विभाग के दिनांक 17 अगस्त, 1983 के संकल्प संख्या-9(23)/82-पुनर्वास- (डैस्क) द्वारा विशिष्ट अतिरिक्त पुनर्वास भूमि उद्धार संगठन निपटान समिति का गठन किया गया था । इस समिति की अवधि क्रमशः 23-2-1984, 4-9-84, 28-12-84, 6-6-1985, 30-12-85 तथा 6-8-86 के संकल्प सं०-9(23)/82-पुनर्वास-III (डैस्क) द्वारा 31-12-1986 तक बढ़ाई गयी थी । एतद्द्वारा इसकी अवधि 31-3-87 तक और बढ़ाई जाती है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्न को प्रेषित की जाए :—

1. सचिव, मन्त्रिमण्डल कार्य विभाग, मन्त्रिमण्डल सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), नई दिल्ली ।
3. सचिव, रक्षा मंत्रालय, (रक्षा विभाग), नई दिल्ली ।
4. सचिव, पूर्ति विभाग, नई दिल्ली ।
5. महा निदेशक, पूर्ति तथा निपटान, नई दिल्ली ।
6. निदेशक, लेखा-परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, नई दिल्ली ।
7. उप निदेशक, लेखा-परीक्षा, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध, कलकत्ता शाखा, 16-ए, शाबोर्न रोड, कलकत्ता—700001

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० के० बसु, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 1987

सं० एफ 9-5/84-यू०-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयोग की सलाह पर, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था घोषित करती है ।

जे० डी० गुप्ता संयुक्त सचिव

नई दिल्ली 110001, दिनांक 2 जनवरी 1987

संकल्प

सं० ई० 11011/4/85-समन्वय (हिन्दी) इस विभाग के 21 अप्रैल, 1986 के यथा संशोधित संकल्प संख्या ई०-11011/4/85-(हि०) में और आगे इस प्रकार संशोधन किया जाता है :—

1. क्र० सं० 3 के सामने "श्री एस० डब्ल्यू० धाबे, संसद सदस्य" के स्थान पर "श्रीमती इला रमेश भट्ट, संसद सदस्य" पढ़ें ।
2. क्र० सं० 6 के सामने "श्री सुधाकर पाण्डेय, संसद सदस्य" के स्थान पर "श्रीमती वीणा वर्मा, संसद सदस्य" पढ़ें ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अनिल बोर्दिया, अपर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1987

संकल्प

सं० ई० 11015/1/85–हिन्दी—भारत सरकार ने श्री रामचन्द्र भारद्वाज (राज्य सभा से सेवा निवृत्त हो गए हैं) के स्थान पर श्री सी० पी० ठाकुर, सदस्य, राज्य सभा को इस मंत्रालय के दिनांक 9 सितम्बर, 1985 के समसंख्यक संकल्प के द्वारा पुनर्गठित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य तत्काल से नियुक्त करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियंत्रक को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बाल कृष्ण जुत्शी, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 जनवरी 1987

संकल्प

सं० 24-1/86-फ० प्र०-II—भारत सरकार ने संकल्प संख्या 41-3/83-फ० प्र०-II दिनांक 19 अक्तूबर, 1977 के द्वारा गठित भारतीय गन्ना विकास परिषद को तत्काल से पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है । पुनर्गठित परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

1. अध्यक्ष : भारत सरकार द्वारा नामजद एक गैर-सरकारी व्यक्ति

2. उपाध्यक्ष : कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) में भारत सरकार के कृषि आयुक्त

3. सदस्य

(क) संसद सदस्य: संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाने वाले संसद के तीन सदस्य, लोक सभा से 2 सदस्य तथा राज्य सभा से 1 सदस्य

(ख) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि : निम्नलिखित राज्य सरकारों के गन्ना विकास से संबंधित विभाग से एक-एक प्रतिनिधि, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाने हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. महाराष्ट्र
6. पंजाब
7. तमिलनाडु
8. उत्तर प्रदेश

(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि :

1. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा उनके द्वारा नामजद व्यक्ति
2. सलाहकार (कृषि), योजना आयोग
3. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि
4. मुख्य निदेशक (शर्करा) खाद्य विभाग
5. संयुक्त सचिव (विस्तार) कृषि और सहकारिता विभाग
6. निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, रायबरेली, पो० ओ० दिलखुस, लखनऊ-2
7. परियोजना समन्वयक (गन्ना), भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ
8. परियोजना समन्वयक (चुकन्दर), उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर, जिला नैनीताल
9. नागरिक आपूर्ति विभाग का एक प्रतिनिधि
10. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का एक प्रतिनिधि ।
11. कृषि और सहकारिता विभाग गन्ना से सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त ।

(घ) उत्पादकों के प्रतिनिधि :

(क) निम्नलिखित गन्ना उत्पादक राज्यों से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाने वाले उत्पादकों का एक-एक प्रतिनिधि :—

1. आंध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. कर्नाटक
5. महाराष्ट्र
6. पंजाब
7. तमिलनाडु
8. उत्तर प्रदेश

(ख) भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाने वाला उत्पादकों का एक प्रतिनिधि ।

(ङ) उद्योग के प्रतिनिधि

1. भारतीय चीनी मिल संघ का एक प्रतिनिधि
2. राष्ट्रीय सरकारी गन्ना कारखाना संघ का एक प्रतिनिधि
3. गुड़ तथा खण्डसारी हित का एक प्रतिनिधि (जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामजद किया जाना है)

(च) व्यापार के प्रतिनिधि :

निम्नलिखित सुगर मर्चेण्ट्स एसोसिएशन का एक-एक प्रतिनिधि :—

1. बम्बई
2. कानपुर
3. कलकत्ता

(छ) श्रमिकों के प्रतिनिधि :

1. फार्म में नियुक्त—एक श्रमिक
2. कारखानों में नियुक्त—एक श्रमिक

(ज) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाते हैं ।

4. सदस्य सचिव : निदेशक, गन्ना विकास निदेशालय, कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार, सी-196, रामप्रस्थ कालोनी, दिल्ली—यू० पी० बार्डर, जिला—गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।

5. प्रेक्षक : (जो परिषद के सदस्य नहीं होंगे, लेकिन परिषद के विचार-विमर्श में इसकी सहायता करने के लिए निरन्तर आमंत्रित किए जाएंगे ।)

1. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि;
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय,
3. निदेशक, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर अथवा उनका प्रतिनिधि;
4. निदेशक, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बत्तूर, अथवा उनका प्रतिनिधि;
5. अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय अथवा उनका प्रतिनिधि;
6. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का एक प्रतिनिधि ।
7. प्रबन्ध निदेशक, नाफेड ।

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगी और इसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. गन्ना तथा चुकन्दर की फसलों के संबंध में केन्द्र और राज्य क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना तथा गन्ना तथा चुकन्दर के उत्पादन को बढाने के लिए उपायों की सिफारिश करना;
2. गन्ना तथा चुकन्दर के उत्पादकों के उत्पादन, विपणन, परिसंस्करण, भण्डारण तथा परिवहन से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करना और इन मामलों पर सरकार को सलाह देना;
3. देशी तथा निर्यात बाजार में गन्ना तथा चुकन्दर की विभिन्न किस्मों की मांगों पर विचार करना और तदनुसार गन्ना तथा चुकन्दर उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन करने के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देना;
4. गन्ना तथा चुकन्दर के उत्पादन के संबन्ध में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना और इन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना;
5. गन्ना तथा चुकन्दर से सम्बन्धित अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम के बीच समन्वय करना और गन्ना तथा चुकन्दर की गुणवत्ता तथा उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में सलाह देना;
6. सरकार को ऐसे अन्य संबंधित मामलों पर सलाह देना, जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाएं ।

3. परिषद को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए तकनीकी समिति, स्थायी समिति और तदर्थ समिति की स्थापना करने और विशेष प्रयोजनों के लिए आवश्यकतानुसार कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों के प्रतिनिधियों जैसे सदस्यों को सहयोजित करने के अधिकार होंगे ।

4. परिषद आवधिक तौर पर ऐसे क्षेत्रों में अपनी बैठकें करेगी जहां गन्ना तथा चुकन्दर की खेती की जाती है और जो गन्ना तथा चुकन्दर व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं और भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक भारत सरकार के संकल्प द्वारा इसे समाप्त न किया जाए । परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद में उनके नामजद किए जाने की तारीख से 3 वर्ष तक होगा जब तक कि इस अवधि को भारत सरकार के विशेष आदेश द्वारा कम या बढ़ाया न जाए ।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए गए परिषद के सदस्य संसद सदस्य न रहने पर परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित प्रदेश के प्रशासनों, तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० वी० शेनाय
अपर सचिव, भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 जनवरी 1987

संकल्प

सं० 6/1/79-पी० पी०—राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के गठन से संबंधित तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय के 10 मार्च, 1983 का संकल्प सं० 6/1/79-पी० पी० एवं समसंख्य शोधन दिनांक 14 अक्तूबर, 1985 तथा 29 अक्तूबर, 1985 का संशोधन रूप अब निम्नवत होगा :—

संकल्प के पैरा 3 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का स्वरूप निम्नवत होगा :—

1. प्रधान मंत्री अध्यक्ष
2. केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, उपाध्यक्ष
3. केन्द्रीय वित्त मंत्री, सदस्य
4. केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री, सदस्य
5. केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री, सदस्य
6. केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री, सदस्य
7. उपाध्यक्ष, योजना आयोग, सदस्य
8. केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री, सदस्य
9. केन्द्रीय भूतल परिवहन राज्य मंत्री, सदस्य
10. केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिक राज्य मंत्री, सदस्य
11. मुख्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश, सदस्य
12. मुख्य मंत्री, असम, सदस्य
13. मुख्य मंत्री, बिहार, सदस्य
14. मुख्य मंत्री, गुजरात, सदस्य
15. मुख्य मंत्री, हरियाणा, सदस्य
16. मुख्य मंत्री, हिमाचल प्रदेश, सदस्य
17. मुख्य मंत्री, जम्मू व कश्मीर, सदस्य
18. मुख्य मंत्री, कर्नाटक, सदस्य
19. मुख्य मंत्री, केरल, सदस्य
20. मुख्य मंत्री, मध्य प्रदेश, सदस्य
21. मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र, सदस्य
22. मुख्य मंत्री, मणिपुर, सदस्य
23. मुख्य मंत्री, मेघालय, सदस्य
24. मुख्य मंत्री, नागालैंड, सदस्य
25. मुख्य मंत्री, उड़ीसा, सदस्य
26. मुख्य मंत्री, पंजाब, सदस्य
27. मुख्य मंत्री, राजस्थान, सदस्य
28. मुख्य मंत्री, सिक्किम, सदस्य
29. मुख्य मंत्री, तमिलनाडु, सदस्य
30. मुख्य मंत्री, त्रिपुरा, सदस्य
31. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, सदस्य
32. मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल, सदस्य
33. उपराज्यपाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, सदस्य
34. मुख्य मंत्री, अरुणाचल प्रदेश, सदस्य
35. मुख्य प्रशासक, चंडीगढ़, सदस्य
36. प्रशासक, दादरा व नगर हवेली, सदस्य
37. उप राज्यपाल, दिल्ली, सदस्य
38. मुख्य मंत्री, गोवा, दमन व दीप, सदस्य
39. प्रशासक, लक्षद्वीप, सदस्य
40. मुख्य मंत्री, मिजोरम, सदस्य
41. मुख्य मंत्री, पाण्डिचेरी, सदस्य

जल संसाधन मंत्रालय के सचिव, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रपति के निजी तथा सैन्य सचिवों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक योजना आयोग, केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित करा दिया जाए और संबंधित राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया जाए कि वे इस संकल्प को अपने-अपने राज्यपत्रों में सूचनार्थ प्रकाशित कर दें ।

(रामास्वामी रा० अय्यर), सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 13th January 1987

No. A-11019/2/86-Ad.I.—Reference this Secretariat's Resolution of even No. dated 27th February, 1986, constituting the Ocean Science and Technology Board.

2. Dr. A. P. Mitra, D.G., CSIR shall be Member of the Ocean Science and Technology Board in place of Late Dr. H. N. Siddiqui.

ANIL KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF PLANNING

New Delhi, the 2nd January 1987

RESOLUTION

No. E-11017/5/83-Hindi.—The Government of India in the Ministry of Planning—Department of Planning, have decided to introduce a Scheme known as "Kautilya Award Scheme" for writing original books in Hindi Language on subjects relating to Planning. The objectives and other details of the Scheme are as under :—

KAUTILYA AWARD SCHEME FOR WRITING ORIGINAL BOOKS IN HINDI ON SUBJECTS RELATING TO PLANNING.

I. *Title of the Scheme*

This Scheme will be known as KAUTILYA AWARD SCHEME FOR WRITING ORIGINAL BOOKS IN HINDI ON TECHNICAL SUBJECTS RELATED TO PLANNING.

II. *Objectives*

So far the Five Year Plan documents are being written, originally, in English. Hindi being our Official Language, it is our aim to eventually write the Plan document, originally, in Hindi. Accordingly, a scheme to award prizes to best writers of technical books, in Hindi, related to Planning, is being introduced to encourage the production of quality technical books on planning, in Hindi. Annual Awards to writers of standard original books on specified topics in the field of Planning, will be given.

III. *Amount of Awards*

Three annual awards will be given by the Planning Commission to the writers of original books in Hindi in the said field and adjudged best in order of merit by an Evaluation Committee to be constituted as mentioned in para V. The amount of awards will be as under :—

(i) First Award—Rs. 5,000/-

(ii) Second Award—Rs. 3,000/- and

(iii) Two Consolation Awards of—Rs. 500/- each.

If in any year, original works, in Hindi, on specified topics in the field of Planning (Technical Subjects) are not found by the Evaluation Committee to be of a sufficiently high order, any or all of the awards, may not be given.

IV. The Scheme will be administered by the Planning Commission beginning with the Calendar year 1987. The Awards will be made for each Calendar year. The Scheme will be open to all persons except those employed in the Planning Commission.

2. The books and manuscripts submitted during the calendar year will be assessed by the Evaluation Committee set up by the Planning Commission.

3. Each book or manuscript submitted for consideration by the Evaluation Committee shall invariably be accompanied by the prescribed entry form duly filled in and signed by the author and submitted by the date prescribed by the Department.

4. Any original work (manuscript) which has received any award, subsidy or any other financial assistance under any other scheme operated by the Government of India or any State Government or any public sector undertaking or private body, would not be eligible for consideration of any award under this Scheme.

5. The authors of original books (manuscripts) in Hindi in the aforesaid field would be entitled to copyright of their books.

V. The Evaluation Committee shall consist of the following :—

1. Adviser/Joint Secretary (Admn.)—Chairman
2. Director (Administration)—Member
3. Three experts to be nominated with the approval of the Chairman—Member
4. Director/Dy. Director (O.L.)—Member Secretary.

2. No author will be awarded more than one Award and/or Prize, for one calendar year.

3. In case any book or manuscript selected for award or prize have more than one author, the award or prize money will be distributed equally among the coauthors.

4. Notwithstanding the approval of the manuscript by the Evaluation Committee, the Award or Prize amount will be actually disbursed only after the book has been published.

VI. *Functioning of the Evaluation Committee*

1. Each year the Planning Commission will issue a notice to be published in leading newspapers, both in Hindi and English, asking for submission of entries for the awards under the Scheme. The notice shall, *interalia*, indicate the last date for submission of the entries under the Scheme.

2. On receipt of the books and manuscripts, these will be circulated to each member of the Committee who will evaluate the same and record his/her assessment within a stipulated period. When the assessment of all the members have been received and tabulated, the Chairman of the Committee will convene a meeting of the Evaluation Committee in which the Member-Secretary of the Committee shall submit to the Chairman the evaluations made by each member for taking a final decision for selecting the best entries for award under the Scheme. The decision taken by the Evaluation Committee shall be final and binding in all respect and no appeal thereof will lie to any authority.

K. C. AGARWAL, Director (Admn.)
Planning Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY

(REHABILITATION DIVISION)

New Delhi-11, the 9th January 1987

RESOLUTION

No. 9(23)/82-RH-III(DESK).—The Special Surplus RRO Disposal Committee was set up vide erstwhile Department of Rehabilitation Resolution No. 9(23)/82-RH.III (Desk) dated 17th August, 1983. The term of this Committee which was extended upto 31-12-1986 *vide* Resolutions No. 9(23)/82-RH-III (Desk) dated 23-2-1984, 4-9-1984, 28-12-1984, 6-6-85, 30-12-85 and 6-8-86, respectively, is hereby further extended upto 31-3-1987.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to :—

1. Secretary, Department of Cabinet Affairs, Cabinet Secretariat, New Delhi.
2. Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure), New Delhi.
3. Secretary, Ministry of Defence (Department of Defence) New Delhi.
4. Secretary, Department of Supply, New Delhi.
5. Director General of Supplies & Disposal, New Delhi.
6. Director of Audit, Commerce, Works & Misc. New Delhi.
7. The Deputy Director of Audit, Commerce, Works & Misc., Calcutta Branch, 16-A, Brabourne Road, Calcutta-700001.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. K. BASU, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 12th January 1987

No. F.9-5/84-U.3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), he Central Government, on the advice of the Commission, hereby declare that the Rajasthan Vidyapeeth, Udaipur shall be deemed to be a University for the purposes of the aforesaid Act.

J. D. GUPTA, Jt. Secy.

New Delhi-110 001, the 2nd January 1987

RESOLUTION

No. E.11011/4/85-CDN(HINDI).—This Department's Resolution No. E.11011/4/85-CDN(H) dated 21st April 1986 as amended, is further amended as under :—

1. Against S. No. 3

   for "Shri S. W. Dhabe, M.P."

   read "Smt. Ela Ramesh Bhatt, M.P."

2. Against S. No. 6

   for "Shri Sudhakar Pandey, M.P."

   read "Smt. Veena Verma, M.P."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANIL BORDIA, Addl. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 2nd January 1987

RESOLUTION

No. E.11015/1/85-Hindi.—Government of India have decided to nominate Shri C. P. Thakur, Member, Rajya Sabha in place of Shri R. C. Bharadwaj (since retired from the Rajya Sabha) as member of the Hindi Advisory Committee of the Ministryl of Information & Broadcasting re-constituted *vide* this Ministry's resolution of even No. dated 9th September, 1985. with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Govt. of India, President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. K. ZUTSHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

New Delhi, the 7th January 1987

RESOLUTION

No. 24-1/86-C.A.II.—The Government of India have decided to reconstitute the Indian Sugarcane Development Council set up vide Resolution No. 41-3/83-C.A.II dated the 19th October, 1977 with immediate effect. The reconstituted Council will be composed as follows :—

CHAIRMAN

A non-official to be nominated by the Government of India.

VICE CHAIRMAN

Agriculture Commissioner to the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation).

MEMBERS

(A) *Members of Parliament*

Three Members of Parliament to be nominated by the Deptt. of Parliamentary Affairs, 2 from Lok Sabha and 1 from Rajya Sabha.

(B) *Representatives of State Governments*

One representative each from the following State Govts. in the Deptt. dealing with Sugarcane development to be nominated by the respective State Govts.

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Haryana
4. Karnataka
5. Maharashtra
6. Punjab
7. Tamil Nadu
8. U. P.

(C) *Representatives of Central Government*

1. Director General, ICAR or his nominee.
2. Adviser (Agriculture), Planning Commission.
3. One representative of the Ministry of Commerce.
4. Chief Director (Sugar), Deptt. of Food.
5. Joint Secretary (Extn.), Department of Agriculture and Cooperation.
6. Director, Indian Instt. of Sugarcane Research, Rae Bareilly Road, P.O. Dilkhus, Lucknow-2.
7. Project Coordinator (Sugarcane), Indian Instt. of Sugarcane Research, Lucknow.
8. Project Coordinator (Sugarbeet), U. P. Agriculture University, Pant Nagar, District Nainital.
9. One representative of the Deptt. of Civil Supplies.
10. A representative of the National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD).
11. Joint Commissioner dealing with Sugarcane in the Deptt. of Agriculture and Cooperation.

(D) *Representatives of Growers*

(a) One representative of the Growers to be nominated by the respective State Govts. from each of the following Sugarcane growing States :—

1. Andhra Pradesh
2. Bihar
3. Haryana
4. Karnataka
5. Maharashtra
6. Punjab
7. Tamil Nadu
8. U. P.

(b) One representative of the growers to be nominated by the Govt. of India.

(E) *Representatives of Industry*

1. One representative of the Indian Sugar Mills Association.
2. One representative of the National Federation of Cooperative Sugarcane Factories.
3. One representative of Gur and Khandsari interest (to be nominated by the Government of U.P.).

(F) *Representatives of Trade*

One representative each of the Sugar Merchants Association at :—

1. Bombay
2. Kanpur
3. Calcutta.

(G) *Representatives of Workers*

(i) Engaged in farms—one.

(ii) Engaged in factories—one.

(H) *Such other persons as may, from time to time, be nominated by the Government of India.*

MEMBER SECRETARY

Director, Dte. of Sugarcane Development, Deptt. of Agriculture and Cooperation, C.G.O. Building, Hall No. 331-332 (Third Floor), Hapur Road Chungi, Kamala Nehru Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.

OBSERVERS

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in it's deliberations

1. Agricultural Marketing Adviser, Deptt. of Rural Development, Ministry of Agriculture or his representative;
2. Financial Adviser, Deptt. of Agriculture Cooperation, Ministry of Agriculture;
3. Director, National Sugar Institute, Kanpur or his representative;
4. Director, Sugarcane Breeding Institute, Coimbatore or his representative;
5. Economics and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture or his representative;
6. A representative of the National Cooperative Development Corporation.
7. Managing Director, NAFED.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

1. To Consider development programmes in the Central and State Sectors in respect of Sugarcane and Sugarbeet crops, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of sugarcane and sugarbeet.
2. To consider problems relating to the production, marketing, processing, storage and transport of sugarcane and sugarbeet growers and advise Government in these matter;
3. To consider demands for different varieties of sugarcane and sugarbeet in the domestic as well as export markets and advise Government about necessary adjustments in sugarcane and sugarbeet production programmes accordingly;
4. To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of sugarcane and sugarbeet production and suggest suitable measures for meeting the same;
5. To facilitate coordination between research and development programme relating to sugarcane and sugarbeet and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of sugarcane and sugarbeet; and
6. To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Technical Committees, Standing Committees and ad-hoc Committees to look into specific issues and to coopt members such as representative of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which Sugarcane and Sugarbeet are grown and at important centres of sugarcane and sugarbeet trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to functions until it is abolished by a resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date on which they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from the Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be the Members of Parliament.

ORDER

1. Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretaria and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. V. SHENOI, Addl. Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 21st January 1987

RESOLUTION

No. 6/1/79-PP.—The erstwhile Ministry of Irrigation's Resolution No. 6/1/79-PP dated 10th March 1983, setting up the National Water Resources Council and amendments of even Nos. dated 14th October, 1985 and 29th October, 1985 stand further amended as below :—

In para 3 of the resolution, the composition of the National Water Resources Council will be as follows :—

Chairman

"1. Prime Minister.

Vice-Chairman

2. Union Minister of Water Resources.

Members

3. Union Minister of Finance.
4. Union Minister of Agriculture and Rural Development.
5. Union Minister of Energy.
6. Union Minister of Urban Development.
7. Deputy Chairman, Planning Commission.
8. Union Minister of State for Planning.
9. Union Minister of State for Surface Transport.
10. Union Minister of State for Science & Technology.
11. Chief Minister, Andhra Pradesh.
12. Chief Minister, Assam.
13. Chief Minister, Bihar.

14. Chief Minister, Gujarat.
15. Chief Minister, Haryana.
16. Chief Minister, Himachal Pradesh.
17. Chief Minister, Jammu & Kashmir.
18. Chief Minister, Karnataka.
19. Chief Minister, Kerala.
20. Chief Minister, Madhya-Pradesh.
21. Chief Minister, Maharashtra.
22. Chief Minister, Manipur.
23. Chief Minister, Meghalaya.
24. Chief Minister, Nagaland.
25. Chief Minister, Orissa.
26. Chief Minister, Punjab.
27. Chief Minister, Rajasthan.
28. Chief Minister, Sikkim.
29. Chief Minister, Tamil Nadu.
30. Chief Minister, Tripura.
31. Chief Minister, Uttar Pradesh.
32. Chief Minister, West Bengal.
33. Lt. Governor, Andaman & Nicobar Islands.
34. Chief Minister, Arunachal Pradesh.
35. Chief Administrator, Chandigarh.
36. Administrator, Dadra & Nagar Haveli.
37. Lieutenant Governor, Delhi.
38. Chief Minister, Goa, Daman & Diu.
39. Administrator, Lakshadweep.
40. Chief Minister, Mizoram.
41. Chief Minister, Pondicherry.

Secretary, Ministry of Water Resources will be the Secretary of the National Water Resources Council".

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments and the Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Office, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of the Central Government for information.

ORDERED also that this Resolution be published in the Gazette of India and the concerned State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

RAMASWAMY R. IYER, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1987